

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-89/2024-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/ 2025

डा० सुषमा शिखा, विशेषज्ञ चि कित्सा पदाधिकारी, (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के पत्रांक-505(25) दिनांक-06.03.2025 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-30.07.2024 से 31.12.2024 तक	-	कुल-155 (एक सौ पचपन) दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-01.01.2025 से 28.06.2025 तक	-	कुल-179 (एक सौ उन्नासी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापंक-2/एल०-89/2024-

656(2)

पटना, दिनांक

25/4/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/डा० सुषमा शिखा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रशाखा पदाधिकारी, 05, 07, 10 एवं 18A पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

25/4/25

सरकार के अवर सचिव।